O/o CE (EITC)
Receipt No. 1139
Date 23 SEP 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE.........
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 09/2019 दिनांक 22.07.2019

श्री नरेन्द्र वर्मा
कल्याण सागर रोड़
नयागंज वार्ड, भाटापारा,
जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा
(छ0ग0) पिन– 493118

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 20/09/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री नरेन्द्र वर्मा की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0 ग0 स्टे0 पॉ0 हो0 कं0 लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 09/2019 दिनांक 22.07.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री नरेन्द्र वर्मा ने आवेदन दिनांक 15.05.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :–

"निलंबन हेतु तृतीय/चतुर्थ क्लास कर्मचारी के लिए निलंबन नियमावली, निलंबन अवधि एवं विभागीय जांच के प्रावधान/नियमावली की प्रति।"

अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन दिनांक 29.07.2019 के माध्यम से वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक उन्हे उपलब्ध नहीं करायी गई है, का लेख करते हुए प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, और वांछित जानकारी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

(3) उक्त दर्ज अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –09/2019/20 दिनांक 07.08.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 19.08.2019 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी–09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री वर्मा को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। वस्तुतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नही की जा सकी।

उपरोक्त के दृष्टिगत अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई का समुचित (अंतिम) अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17.09.2019 को सांय 4:00 बजे निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उभय पक्षो को पत्र क्रमांक 21 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा दी गई। निर्धारित तिथि को अपीलार्थी एवं

प्रतिअपीलार्थी तथा सहायक जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का पक्ष कि कंडिका 02 टीप में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, होल्डिंग कंपनी से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत् निर्देशित किया गया, जिसके तारतम्य में संबंधित प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि **"उपरोक्त प्रावधान/नियमावली, पुस्तक के रूप में बाजार में उपलब्ध है, यदि आवेदक चाहें तो बाजार से प्राप्त** कर **सकते हैं।"**

उक्ताशय के दृष्टिगत निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालयीन पत्र कमांक 520 दिनांक 01.06.2019 के माध्यम से आवेदक को उनके द्वारा दिये गये पते पर उक्त वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई है।

(5) अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतएव अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप नियमानुसार मान्य हो।

(i) सुनवाई के दौरान दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी के पक्ष श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रमुखः तर्क कि उनके द्वारा वांछित जानकारी उन्हे आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतएव उन्हे वांछित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

(iii) उक्ताशय के परिप्रेक्ष्य में प्रतिअपीलार्थी का पक्ष कथन कि आवेदक को वांछित जानकारी के संबध में कंडिका कमांक 04 के दृष्टिगत जानकारी के वस्तुस्थिति से उनके द्वारा दिये गये पते पर निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत करायी गई है। उक्त पत्र की कार्यालयीन प्रति से आवेदक को अवलोकन कराते हुए, छायाप्रति प्रदान की गई। साथ ही आवेदक को डाक रजिस्ट्रर (पोस्टल टिकट) का अवलोकन कराया गया जिसके द्वारा उन्हे पत्र भेजा गया है।

जहाँ तक आवेदक को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, उक्त जानकारी विषयक प्रावधान/नियमावली, जिसे कंपनी द्वारा ग्राहय किया गया है पुस्तक के रूप में बाजार में उपलब्ध है। अतएव आवेदक उक्त पुस्तक को बाजार से प्राप्त कर सकते हैं।" **तत्संबंध में लेख है कि अधिनियम** की **प्रकृति के अंतर्गत सूचना, जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है, की मांग इस अधिनियम के प्रावधानों** के **अधीन नही की जानी चाहिये।**

उल्लेखित कंडिका के दृष्टिगत यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज अत्याधिक यथा विस्तृत रूप में है, जिसे आवेदक को उपलब्ध कराये जाने पर अनावश्यक पेपर व डाक व्यय तथा समय व्यर्थ होगा। उक्ताशय के दृष्टिगत आवेदक को वांछित प्रावधान/नियमावली पुस्तक (जिसमें समस्त जानकारी समाहित है) बाजार से प्राप्त करने बाबत् सूचित किया गया है।

उक्त प्रकरण में सूचना प्रकोष्ठ के द्वारा आवेदक से दूरभाष के माध्यम से चर्चा की गई है। तदैव आवेदक को निलंबन एवं विभागीय जांच संबंधी प्रावधान/नियमावली विषयक पुस्तक **यथा म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 विभागीय जॉच एवं बचाव एवं म.प्र./छ.ग. आचरण नियम 1965 संबंधी पुस्तक के नाम से अवगत कराया गया है।**

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में कार्यवाही कर, अपीलार्थी को कंडिका 04/–टीप के माध्यम से वांछित जानकारी के वस्तुस्थिति से जो अवगत करायी गई है वह विधि संगत है जो पूर्णतः स्वीकार योग्य है। अतएव प्रकरण में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त कंड़िका 05 (iii) टीप के अनुसार यह उल्लेख करने की आवश्यकता नही है कि यदि अधिनियम के उपबंधों के विपरीत कोई नियम या अधिसूचना है तो वह प्रभावहीन और निरर्थक है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज जो निलंबन एवं विभागीय जांच संबंधी प्रावधान/नियमावली है, विस्तृत रूप में है। यद्यपि कंडिका 5(iii) में उल्लेखित पुस्तक जो बाजार में उपलब्ध है, अतएव अपीलार्थी चाहे तो उक्त पुस्तक बाजार से प्राप्त कर सकते है अथवा इस कार्यालय में उक्त पुस्तक की कुल कीमत रूपये 1850/—मात्र का भुगतान कर पुस्तक प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी को निलंबन एवं विभागीय जांच संबंधी नियमावली पुस्तक का अवलोकन कराया गया। अतएव उनका यह कथन कि क्या उक्त लेखको द्वारा लेखांकित पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। तत्संबंध में अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि उक्त पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, जहॉ से आप प्राप्त कर सकते है, अतएव अपीलार्थी द्वारा संतुष्ठी व्यक्त की गई।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी कंड़िका 06/—टीप के दृष्टिगत वांछित जानकारी विषयक पुस्तक प्राप्त कर सकते है। अतएव दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पं.क्रं. 09/2019 दिनांक 22.07.2019) एतद् द्वारा अस्वीकार कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष कमांक —0771—2574700

क्रमांक :— 01—02/अपील प्रकरण —09/2019/

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः—

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)—दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री नरेन्द्र वर्मा कल्याण सागर रोड़ नयागंज वार्ड, भाटापारा, जिला— बलौदाबाजार— भाटापारा (छ0ग0) पिन— 493118 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर —उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :— सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला— रायपुर (छ.ग.) पिन — 492002
दूरभाष— 0771—2512106, 2512108

EITC

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष कमांक —0771—2574700